संख्या-50/2026/204के-2/22-3-2024-17(231)/17

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 10 मार्च, 2026

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राम भरोसे पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी जनपद-पीलीभीत की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-20369/प्रो0अनु0(2)-251/2023/(बैठक दिनांक 07.06.2023), दिनांक 08.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राम भरोसे पुत्र श्री राम प्रसाद, जो ग्राम-मोहम्मदगंज रम्पुरा, थाना-बरखेड़ा, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। बंदी द्वारा चुनावी रंजिश के कारण दिनांक 10-03-2001 को बंदी द्वारा अपने 36 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर होली मिलन के अवसर पर बन्दूक, देसी तमंचा, बांका, सूजा, लाठी, बल्लम से हमला कर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा 07 व्यक्तियों को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-212/2002, 216/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 506, 436/149, 307/149, 302/149 व 7 सी0आर0 एल0ए0 एक्ट तथा 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, स्पेशल जज एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, पीलीभीत के आदेश दिनांक 23.01.2001 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23-09-2005 द्वारा निर्णीत करते हुए उक्त सजा को यथावत रखा गया। जेल रिपोर्ट दिनांक 15-05-2023 के अनुसार बन्दी की आयु 54 वर्ष, 02 माह, 09 दिन है। बंदी द्वारा दिनांक 15-05-2023 तक 20 वर्ष, 07 माह, 28 दिन की अपरिहार तथा 26 वर्ष, 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गई है।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत के अनुसार बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बंदी के कारागार से रिहा होने पर भविष्य में पुन: अपराध की संभावना, दोनों पक्ष एक ही गांव के रहने वाले होने तथा दोनों पक्षों के मध्य अभी विवाद विद्यमान होने, बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि बंदी द्वारा कारित जघन्य अपराध, बंदी के कारागार से रिहा होने पर उसके द्वारा भविष्य में पुन: अपराध कारित किये जाने की संभावना होने, दोनों पक्ष एक ही गांव के रहने वाले, दोनों पक्षों के बीच अभी विवाद विद्यमान होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने तथा जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक पीलीभीत द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-473 (दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा-432) के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राम भरोसे पुत्र श्री राम प्रसाद को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राम भरोसे (बन्दी संख्या-15596) पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी जनपद-पीलीभीत की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-204(1)के-2/22-3-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।